(1) **RCS-A No.09/2024**

Manibai and others Vs Sukhdev and Others

न्यायालयः—तृतीय व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) मुलताई जिला बैतूल (म.प्र.)

{पीठासीन अधिकारीः—लक्ष्मण डोडवे}

Registration No.:-09/2024
Filing No.:-66/2024
CNR No:- MP4806-000158-2024
Filing Date:-29-01-2024

1. मनीबाई पिता बह्या पति सरावन अलोने, उम्र—75 वर्ष **मृत** के वारसान—
   - अ. चिनकु पिता सरावन अलोने, उम्र 63 वर्ष,
   - ब. कुशन पिता सरावन अलोने, उम्र—81 वर्ष,
   - स. सावित्री पत्नी स्व. पंजाब अलोने, उम्र—55 वर्ष,
   - द. सोनू पिता स्व. पंजाबराव अलोने, उम्र—25 वर्ष(**विलोपित**)
   - इ. शीतल पिता स्व. पंजाबराव अलोने, उम्र—23 वर्ष,
   - ई. जितेश पिता स्व. पंजाब अलोने, उम्र—22 वर्ष,
   - प. शिवानी पिता स्व. पंजाब अलोने, उम्र—18 वर्ष,
   - फ. अजाब पिता स्व. सरावन अलोने, उम्र—56 वर्ष,
   - भ. गुजाब पिता स्व. सरावन अलोने, उम्र—58 वर्ष,
   - ब. साहेब पिता स्व. सरावन अलोने, उम्र—48 वर्ष,
   - त. गुलाब पिता स्व. सरावन अलोने, उम्र—45 वर्ष,
     सभी निवासी—बिरूल बाजार, तहसील—प्रभातपट्टन, जिला—बैतूल, म0प्र0,
   - थ. उर्मिला उर्फ पुष्पा पिता स्व. सरावन अलोने, उम्र—40 वर्ष, पति प्रदीप चापेका, निवासी—वाढोना, तहसील नरखेड़, जिला—नागपुर, महाराष्ट्र,
   - द. सोनू पुत्री स्व. पंजाब अलोने, उम्र 25 वर्ष, पत्नी कमलेश सातपुते, निवासी—मांडवी, तहसील—आठनेर, जिला—बैतूल, म0प्र0,
2. फाग्या उर्फ फागेराव पिता भूरा, उम्र—55 वर्ष निवासी—बिरूलबाजार, तहसील प्रभातपट्टन जिला बैतूल (म.प्र.)
3. द्वारका पिता भूरा पति इमरत घोरसे
4. दुर्गा पिता भूरा पति सद्या,
   दोनों निवासी—सुरगांव तहसील जिला बैतूल (म.प्र.)................. **वादीगण**

11.8.26

(लक्ष्मण डोडवे)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड,
मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)

–:: वि रू द्ध ::–

1. सुखदेव पिता डोमा, उम्र 55 वर्ष
निवासी–बिरूलबाजार, तहसील प्रभातपटटन
जिला बैतूल (म.प्र.)
2. सुमनबाई पिता भूरा पति गुलाब, उम्र–45 वर्ष
निवासी–अमरावती घाट, तहसील प्रभातपटटन, जिला बैतूल
3. गणपति पिता भूरा, उम्र–50 वर्ष
निवासी–बिरूलबाजार, तहसील प्रभातपटटन
जिला बैतूल (म.प्र.)
4. म.प्र. शासन
द्वाराः–कलेक्टर बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.) .... **प्रतिवादीगण**

उपस्थिति में :– वादीगण द्वारा श्री व्ही.आर.धोटे अधिवक्ता।
प्रतिवादी क. 1 द्वारा श्री सी.एस.चंदेल अधिवक्ता।
प्रतिवादी क. 3 द्वारा श्री पंकज खड़से अधिवक्ता।
प्रतिवादी क. 2 व 4 पूर्व से एकपक्षीय।

–:: नि र्ण य ::–
(आज दिनांक **11.08.2026** को घोषित)

1. वादीगण ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त भूमि मौजा बिरूलबाजार खसरा नंबर 202/1 रकबा 0.191हे. में से रकबा 0.062हे. के संबंध में उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बावत् प्रस्तुत किया है।

2. **(A)** वादीगण के वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि मूल पुरूष बहया की कृषि भूमि मौजा बिरूलबाजार में ख0नं0 7 रकबा 0.793,ख0नं0 24 रकबा 0.740, ख0नं0 28/1 रकबा 0.574, ख0नं0 202/1 रकबा 0.191 हे. एवं मौजा बिरूलबाजर में वार्ड क. 12 में एक कच्चा मकान 30 बाई 30 वर्गफुट का है

11.8.26
(लक्ष्मण डोडवे)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड,
मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)

जिसके उत्तर में लाहन्या चरपे का मकान, दक्षिण में पुन्ज्या चरपे का मकान, पूर्व में पुन्या चरपे का मकान, पश्चिम में आम रास्ता है। ख0नं0 202/1 रकबा 0.191हे. भूमि ग्राम बिरूलबाजार में गांव में लगी हुई है तथा इस भूमि के आस–पास अन्य लोगों के मकान में बने हुए है। यह भूमि मुलताई बिरूल मुख्य मार्ग पर स्थित है, इसके पूर्व में मुलताई बिरूल मुख्य मार्ग, पश्चिम में बिरूल–दतोरा मार्ग, उत्तर में झुनुक वाडेकर का मंगल भवन तथा दक्षिण में शंकर चरपे की भूमि स्थित है। वादग्रस्त जमीन का विभाजन मनी, जनी एवं सोनी के बीच हो चुका है, जिसमें खसरा नंबर 7, 24 एवं 28/1 का कोई विवाद नहीं है। खसरा नंबर 202/1 रकबा 0.191 भूमि के विभाजन अनुसार सोनी को पूर्व दिशा का हिस्सा रोड के किनारे का 0.067, जिसके उत्तर में झुनुक वाडेकर का मंगल भवन, दक्षिण में शंकर चरपे की भूमि, पूर्व में मुलताई बिरूल बाजार मुख्य मार्ग तथा पश्चिम में मनी का हिस्सा है तथा गांव में वार्ड क्र.12 में स्थित मकान जिसके उत्तर में लाहन्या चरपे का मकान, पश्चिम में पुन्ज्या चरपे का मकान तथा मनी को सोनी के पश्चिम का हिस्सा 0.062हे, जिसके उत्तर में झुनुक बाडेकर की जमीन, दक्षिण में शंकर चरपे की जमीन, पूर्व में सोनी के हिस्से की भूमि तथा पश्चिम में जनी के हिस्से की भूमि है तथा जनी को मनी के हिस्से के पश्चिम में दातोरा रोड लगा हुआ हिस्सा 0.062हे, जिसके उत्तर में झुनुक वाडेकर की भूमि, दक्षिण में शंकर चरपे की भूमि, पूर्व में मनी के हिस्से की भूमि तथा पश्चिम में दातोरा बिरूल मार्ग है। इस भूमि में बंटवारे के समय धुरे उत्तर–दक्षिण डाले गये हैं तथा सोनी के बंटवारा से उत्तर की ओर से झुनुक वाडेकर की भूमि के किनारे से 10 फिट चौड़ा रास्ता, पूर्व से पश्चिम मनी एवं जनी को उनके हिस्से में जाने के लिये छोड़ा गया हैं।

(B) जनीबाई द्वारा उसे प्राप्त भूमि में से उत्तर की ओर से भूमि 30 गुणित 30 वर्गफुट नामू पिता किसना को तथा 30 गुणित 30 वर्गफुट माधो पिता घुल्या बनकर को तथा 30 गुणित 15 वर्गफुट भूमि पांडूरंग को विक्रय कर दी है। प्रतिवादी क्रं.1 सुखदेव ने वर्ष 2021 में नायब तहसीलदार वृत्त मासौद के समक्ष

(लक्ष्मण डोंडवे)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड,
मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)

वादग्रस्त भूमि का बंटवारा कराये जाने हेतु आवेदन पेश किया था, जिसके आधार पर रा.प्र.कं. 0077अ/27 वर्ष 2021 में दिनांक 12.09.2021 को बिना किसी जांच के अंतिम आदेश पारित किया गया व विवादित भूमि अकेले प्रतिवादी कं. 1 को दे दी गई, जिसकी अपील वादीगण ने न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मुलताई के समक्ष पेश की थी, जिसके आधार पर अपील कं.0164 वर्ष 2021–22 दर्ज हुआ था, जिसमें दिनांक 31.01.2022 को अंतिम आदेश पारित किया गया था तथा न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त मासौद द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.2021 विधि अनुसार न होने से निरस्त किया गया। प्रतिवादी कं.1 सुखदेव द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2022 की अपील आयुक्त नर्मदापुरम होशंगाबाद के समक्ष अपील क. 139 वर्ष 2021–22 की जिसमें दिनांक 29.03.2023 को बिना किसी जांच के अंतिम आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी मुलताई द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2022 को निरस्त कर दिया गया। विवादित भूमि पर वादिनी मनी, जनी के वारसान तथा सोनी के पुत्र प्रतिवादी कं.1 सुखदेव काबिज है। वादीगण को विवादित भूमि में से बंटवारे में प्राप्त भूमि वादीगण के स्वत्व आधिपत्य की भूमि है। प्रतिवादी सुखदेव वादीगण को धमकी देता है कि वह विवादित भूमि पर जबरन कब्जा करेगा तथा भूमि को विक्रय कर देगा। अतः उनका दावा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

3. प्रतिवादी क. 1 की ओर से प्रस्तुत लिखित कथन में स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त वाद–पत्र के अभिवचनों का सामान्य एवं विनिर्दिष्ट प्राख्यान करते हुए अभिवचन किया है कि मूल पुरूष बह्या के स्वामित्व की कुल भूमि ख0नं0 28 रकबा 1.060 हे. ख0नं0 202 रकबा 0.381हे. भूमि के संबंध में दावे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मूल पुरूष बह्या द्वारा अपनी दोनों पुत्रियों मनीबाई एवं जनीबाई का विवाह करने पर छोटी पुत्री के पति को घर दामाद लाया गया था जिस कारण सोनीबाई अपने पति के साथ मूल पुरूष बह्या के जीवनकाल से ग्राम बिरूल बाजार की आबादी स्थित बह्या वाले मकान में निवासरत होकर बह्या एवं

(लक्ष्मण डोंडवे)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड,
मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)

रैनीबाई की उनके जीवनकाल में सेवा, सुश्रषा व देख रेख की गई तथा बहया व रैनीबाई की मृत्यु उपरांत वह उक्त मकान में निवासरत है, जिसका पट्टा रैनीबाई द्वारा सोनीबाई के नाम से जारी किया गया है। वादीगण के द्वारा मूल पुरूष बह्या के पास वर्ष 1971–72 में कुल कितनी भूमि थी व वादिनी मनीबाई, मृतक जनीबाई तथा मृतक सोनी बाई को पारिवारिक व्यवस्थानुसार विभाजन में किस ख0नं0 व कितने रकबे की भूमि प्राप्त हुई, इसका भी उल्लेख नहीं किया है। वादीगण द्वारा पूर्व में किये गये विक्रय पत्रों में उल्लेखित भूमि के संबंध में कोई अभिवचन नहीं किये गये हैं। वादीगण द्वारा अपने विभाजन में प्राप्त भूमि की सत्यता को छिपाते हुए असत्य आधारों पर प्रतिवादी क्र.1 सोनीबाई के विभाजन की भूमि ख0नं0 202/1 रकबा 0.191हे भूमि को छलपूर्वक प्राप्त करने के आशय से राजस्व रिकार्ड में नाम शामिल–शरीक दर्ज होने का लाभ लेकर असत्य आधार पर दावा प्रस्तुत किया है। अतः वादीगण का वाद सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

4. प्रतिवादी क्र. 3 की ओर से प्रस्तुत लिखित कथन में स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त वाद–पत्र के अभिवचनों का सामान्य एवं विनिर्दिष्ट प्राख्यान करते हुए अभिवचन किया है कि वादीगण द्वारा मुल पुरूष बह्या की पत्नि रैनीबाई को वंशवृक्ष में दर्शित नहीं किया गया है। दावे की कंडिका क्रमांक 1 में उल्लेखित भूमि मौजा बिरूल बाजार का खसरा नंबर 28/1 रकबा 0.574 हे. एवं 202/1 रकबा 0.191 हे का उल्लेख किया गया है, जो कि वास्तविक मूल खसरा नंबर 28 का रकबा 1.060 हे. एवं खसरा नंबर 202 का मूल रकबा 0.381 हे. भूमि है। वादीगण द्वारा वादपत्र में मुल पुरूष बह्या के पास कुल कितनी भूमि थी, इसका कोई उल्लेख वादपत्र में नहीं किया गया है। वादिनी मनीबाई ने खसरा नंबर 28 रकबा 1.060 हे. में से अपने हक व हिस्से की भूमि रकबा 0.486 हे. भूमि क्रेता सम्पत वल्द शिवबा माली निवासी बिरूल बाजार को दिनांक 24.11.2000 को विक्रय किया है। मुल पुरूष का कोई पुत्र वारसान नहीं होने से बह्या की तीनों पुत्रियों

(लक्ष्मण ढोके)
व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड,
मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)

मनीबाई, मृतिका जनी एवं सोनी के मध्य मुल पुरूष बह्या की मृत्यु के पश्चात् करीब 30 वर्ष पूर्व आपसी पारिवारिक व्यवस्था अनुसार विभाजन हो चुका है। नायब तहसीलदार मुलताई द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2021 के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपनी–अपनी भूमि पर काबिज होकर काश्तकारी करते चले आ रहे हैं। उनके द्वारा आपसी सहमति से खसरा नंबर 202 रकबा 0.381 हे. में का आधा भाग 0.190 हे. भूमि शंकर चरपे निवासी बिरूल बाजार को बालदावे में दी थी तथा वादी क्रमांक 2 से 4 एवं प्रतिवादी क्रमांक 3 की माता जनीबाई द्वारा उनका नाम शामिल में दर्ज होने का लाभ लेकर खसरा नंबर 202/1 रकबा 0.191 हे. में से 0.008 आरे भूमि गुन्ताबाई पति माधो निवासी बिरूल बाजार को तथा 0.008 आरे भूमि नामदेव वल्द किसना बनकर निवासी बिरूल बाजार को दिनांक 30.05.2009 को विक्रय कर दी, उक्त भूमि सोनीबाई की होने से वादीनी को सोनीबाई के हिस्से की भूमि विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है।

5. मूल पुरूष बह्या की मृत्यु के पश्चात् प्राप्त भूमि खसरा नंबर 28 रकवा 1.060 हे., खसरा नंबर 202 रकवा 0.291 हे. व खसरा नंबर 7 रकवा 0.793 हे. खसरा नंबर 24 रकवा 0.740 हे भूमि को लेकर वादीगण द्वारा अपने दावे में कोई अभिवचन नहीं किये गये हैं तथा वादीनी मनीबाई एवं जनीबाई द्वारा पूर्व में किये गये विक्रयपत्रों को छिपाते हुए असत्य आधार पर दावा प्रस्तुत किया गया है।

6. तहसीलदार न्यायालय द्वारा रा0प्र0क्र0 77अ/27 वर्ष 2021–2022 में पारित आदेश दिनांक 29.09.2021 से परिवेदित होकर वादिनी ने अनुविभागीय अधिकारी मुलताई के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसका रा0अ0क्र0 164/2021–2022 में अनुविभागीय अधिकारी मुलताई द्वारा दिनांक 31.01.2022 को प्रकरण का सूक्ष्मता से अवलोकन किये बिना अविधिक आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उनके द्वारा तहसीलदार मासौद के राजस्व रिकार्ड, फर्द बटांक एवं दस्तावेजों का सूक्ष्मता से अवलोकन करने के पश्चात् दिनांक 29.03.2023 को

(लक्ष्मण हाईट)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड,
मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)

आदेश पारित किया गया, जो पूर्णतः वैधानिक है।

7. वादीनी मनीबाई द्वारा पूर्व में हुये बंटवारा में प्राप्त खसरा नंबर 28 रकबा 1.060 हे भूमि में से 0.486 हे0 भूमि केता सम्पत वल्द शिवबा माली निवासी बिरूल बाजार को दिनांक 24.11.2000 को विकय कर दिया तथा जनीबाई की मृत्यु होने से जनीबाई के वारसानों को खसरा नंबर 7/2 रकवा 0.396 हे एवं खसरा नंबर 28/1 रकबा 0.574 हे0 भूमि जनीबाई को बंटवारा में प्राप्त हुयी व खसरा नबंर 202 रकवा 0.381 हे में से आधी अर्थात 1/2 भाग 0.190 हे. भूमि शंकर चरपे निवासी बिरूल बाजार को बालदावे में आधार पर वादिनी मनीबाई, जनीबाई एवं सोनीबाई द्वारा खसरा नंबर 202/1 रकबा 0.191 हे0 भूमि सोनी बाई को बंटवारे में प्राप्त हुई व खसरा नंबर 24 रकबा 0.740 हे0 भूमि सोनी बाई को प्राप्त हुयी। वादी कमांक 2 द्वारा वादी कमांक 1 मनीबाई को बहला फुसलाकर छलपूर्वक असत्य आधारों पर उक्त दावा प्रस्तुत किया गया है, जो कि मृतक जनीबाई के विधिक वारसानों वादी कमांक 2 से 4 तथा प्रतिवादी कमांक 2 से 3 का उपरोक्त विवादित भूमि में बराबर का अंश व हक अधिकार है व जनीबाई द्वारा खसरा नंबर 202/1 की भूमि जो विकय की गयी, वह जनीबाई के बंटवारे की न होकर जनीबाई द्वारा शामिल शरीक नाम दर्ज होने का लाभ लेकर छलपूर्वक सोनीबाई के बंटवारे की भूमि विकय कर दी गई, इस कारण जनीबाई द्वारा किये गये विकयपत्र पूर्णतः अविधिक होकर शून्य है। वादीगण द्वारा केतागण, जिन्हें भूमि विकय की गयी है, उन्हें प्रकरण में पक्षकार न बनाये जाने से प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद प्रचलनशील न होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

8. उभयपक्षों के अभिवचनों एवं दस्तावेजों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये हैं, जिनके निष्कर्ष मेरे समक्ष अंकित किये जा रहे हैं :-

11.8.24

(लक्ष्मण डोडवे)
व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड,
मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)

क.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादीगण का मौजा बिरूलबाजार खसरा नंबर 202/1 रकबा 0.191हे. में से रकबा 0.062हे भूमि जिसकी चतुर्सीमा उत्तर में झुनकू बाडेकर का भवन, दक्षिण में शंकर चरपे की भूमि, पूर्व में मनी को हिस्से बंटवारे में प्राप्त भूमि, पश्चिम में मुलताई बिरूलबाजार मार्ग, बंटवारे में प्राप्त होकर स्वत्व व आधिपत्य है ?	प्रमाणित नहीं।
2.	क्या न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त मासोद के राजस्व प्रकरण क. 77 अ–27/2021–22 में पारित आदेश दिनांक 29.09.2021 वादी पर बंधनकारी है ?	हाँ।
3.	क्या, आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद राजस्व की अपील कमांक 139/2021–22 में पारित आदेश दिनांक 29.03.23 वादीगण पर बंधनकारी है ?	हाँ।
4.	क्या, वादीगण ने मूल पुरूष बहया की संपूर्ण भूमियों के संबंध में अभिवचन नहीं किया होने से वाद अप्रचलन योग्य है ?	हाँ,
5.	क्या, वादीगण के वाद में पक्षकारों के असंयोजन है ?	हाँ।
6.	क्या, वादीगण ने वाद का उचित मूल्यांकन कर प्र्याप्त न्यायशुल्क चस्पा किया है ?	हाँ।
7.	सहायता एवं वादव्यय ? निष्कर्ष पैरा 23 अनुसार वाद निरस्त (अपास्त)	

—: : **<u>वादप्रश्न कं. 1 पर विवेचना एवं निष्कर्ष</u>** : :—

9. इस संबंध में वादी फाग्या उर्फ फागेराव वा0सा01 ने अपने न्यायालयीन कथनों में वादपत्र के कथनों का कमोवेश रूप से समर्थन करते हुए मुख्य परीक्षण के दौरान बताया है कि जनी मेरी माता है, मनी, सोनी मेरी मौसी है, वादी द्वारका, दुर्गा एवं प्रतिवादी कमांक 2 सुमन मेरी सगी बहनें हैं, प्रतिवादी कमांक 3 गणपति मेरा भाई है तथा मूल पुरूष बाहया मेरा नाना है। एक जमीन

(लक्ष्मण ...)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड,
मुलताई जिला बैतूल (म.प्र.)

गांव से लगी है, दूसरी जमीन झिरी पर लगी है, तीसरी जमीन तिकोना नाम से जानते हैं, चौथी जमीन खेत नामे बरन से जानते हैं। गांव में लगी जमीन 62 डिसमिल है, झिरी की जमीन पौने दो एकड़ है, तिकोने वाली जमीन ढाई एकड़ है और आगे बताया है कि वादग्रस्त जमीन गांव से लगी है, जिसके उत्तर में झनको बाई का मंगल भवन, दक्षिण में शंकर चरपे का मकान, पूर्व में मुलताई–बिरूल रोड तथा पश्चिम में बिरूल–दतोरा मार्ग है। मनी बाई का हिस्सा बीच में है, सोनी बाई का हिस्सा मुलताई–बिरूल रोड से लगा है, जनी बाई का हिस्सा बिरूल–दतोरा रोड से लगा हुआ है। सुखदेव ने बही बनाने के लिए हमारे अंगूठे निशानी ली थी और फर्द बटांक गलत कराया है। ग्राम पटवारी के पास बही बनवाने के लिए गये तब गांव से लगी विवादित जमीन में हमारा नाम नहीं था। मनी, जनी एवं सोनी के बीच लगभग 30 वर्ष पूर्व बंटवारा हो गया था। मेरी मौसी सोनी जीवित थी, तब कोई विवाद जमीन का नहीं था, जिसके बाद सुखदेव ने विवाद करके प्रकरण चालू किया है। गांव के पास लगी विवादित जमीन सोनी बाई के हिस्से पर उसके पुत्र सुखदेव का मकान बना है और मनी का हिस्सा खाली/रिक्त है, जनी बाई के हिस्से में मकान बना है, जिसमें मैं और मेरा परिवार निवास करता है। गांव का पुराना मकान था, जो जनीबाई, मनीबाई और सोनीबाई को दिया, जहां पर कोई नहीं रहता है, वर्तमान में खाली है।

10. वादी फाग्या उर्फ फागेराव ने आगे यह भी कथन में बताया है कि पुराना मकान वार्ड कमांक 12 में स्थित है, जिसके उत्तर में लाहना चरपे का मकान, दक्षिण में पूजा चरपे का मकान, पश्चिम में आम रास्ता एवं पूर्व में पूजा चरपे का मकान स्थित है, जिन पर प्रतिवादी कब्जा करने का धौंस देता है। साक्षी के कथनों का समर्थन कमोवेश रूप से साक्षी साहेबराव के कथन से भी होता है और वादी ने अपनी साक्ष्य के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मौजा बिरूल बाजार की किस्तबंदी, खसरा नंबर 202/1 प्र0पी01, खसरा नंबर 24, 28/1

11.8.26
(लक्ष्मण डोडवे)
व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड,
मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)

प्र0पी02, आयुक्त महोदय नर्मदापुरम के न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति प्र0पी03, अनुविभागीय अधिकारी मुलताई का आदेश दिनांक 31.01.2022 प्र0पी04, तहसील न्यायालय मुलताई के फर्द बटांक प्र0पी05, प्र0पी06, नायब तहसीलदार वृत्त मासौद का आदेश दिनांक 22.09.2021 प्र0पी07, जमाबंदी प्र0पी08, नक्शा प्र0पी09 की प्रमाणित प्रतियां एवं मानचित्र प्र0पी010 पेश किया है।

11. वादी फाग्या उर्फ फागेराव वा0सा01 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि मूल पुरूष बाह्या की चार टुकड़ों की जमीन है और कंडिका 8 एवं 10 में भी स्वीकार किया है कि मनी बाई ने अपने बंटवारे के बाद अपने हिस्से की जमीन बेच दी है और कंडिका 11, 12, 13 में भी स्वीकार किया है कि मूल पुरूष बाहया की भूमियों का बंटवारा कर उनकी पुत्री/पत्नि के नाम से हिस्से बंटवारा कर दिये थे। साक्षी के समग्र परीक्षण एवं वादपत्र के अभिवचनों का अवलोकन करने पर प्रथमदृष्टया यह प्रकट नहीं है कि वादपत्र की कंडिका 1 में वादीगण के द्वारा मूल पुरूष की भूमियां ग्राम मौजा बिरूल बाजार में खसरा नंबर 7 रकवा 0.793, खसरा नंबर 24 रकवा 0.740, खसरा नंबर 28/1 रकवा 0.574, खसरा नंबर 202/1 रकवा 0.191 हेक्टेयर एवं मौजा बिरूल बाजार में वार्ड कमांक 12 में एक कच्चा मकान 30 गुणा 30 वर्गफुट का जिसके उत्तर में लाहन्या चरपे का मकान, दक्षिण में पुनज्या चरपे का मकान, पूर्व में पुन्ज्या चरपे का मकान, पश्चिम में आम रास्ता है, उक्त खसरा नंबर 202/1 रकवा 0.191 हे. भूमि ग्राम बिरूल बाजार से लगी हुयी है तथा इस भूमि के आसपास अन्य लोगों के मकान बने हुये हैं तथा यह भूमि मुलताई–बिरूल मुख्य मार्ग पर स्थित है। इस भूमि के पूर्व में मुलताई–बिरूल मुख्य मार्ग, पश्चिम में बिरूल–दतोरा मार्ग, उत्तर में झुनकू वाडेकर का मंगल भवन तथा खाली जमीन एवं दक्षिण में शंकर चरपे की भूमि स्थित है किंतु वादपत्र की कंडिका 1 की संपूर्ण भूमि के खसरे नंबरों की चतुर्सीमा एवं विशिष्टियों के संबंध में स्पष्ट उल्लेख कथन एवं वादपत्र में नहीं किया है।

11.8.26

(लक्ष्मण डोङरे)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड,
मुलताई जिला बैतूल (म.प्र.)

12. प्रतिपरीक्षण में वादी फाग्या उर्फ फागेराव ने स्वीकार किया है कि उक्त भूमि का तीनों बहन मनी, जनी और सोनी के मध्य तीस वर्ष पूर्व आपसी बंटवारा हुआ है, तब यहां पर वादी को वादपत्र की कंडिका 1 में उल्लेखित भूमियों के संबंध में मनी, जनी, सोनी को कौन–कौन से सर्वे नंबर, रकबे एवं चतुर्सीमा की भुमियां हिस्से–बंटवारे में प्राप्त हुयी थी, इस बात का कोई उल्लेख अपने वादपत्र के अभिवचन एवं कथन में नही करने से भी वादग्रस्त भूमि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होने के संबंध में साक्ष्य विश्वास योग्य नहीं रह जाती है और प्रकरण में वादी मनी जीवित होने के बाद भी उसकी साक्ष्य अंकित नहीं करायी है, उसकी ओर से वादी कमांक 2, जो वादी की बहन जनी का पुत्र है की साक्ष्य करायी है और वादी ने इस बात को गलत बताया है कि सोनी बाई की भूमि में मनी एवं जनी का नाम दर्ज होने का लाभ लेकर झूठा दावा पेश किया है जबकि इसके विपरीत वादी ने परिसाक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि बाह्या की जमीन को 30–35 वर्ष पूर्व तीनों बहनों ने बराबर–बराबर बंटवारा कर जमीनों की मेढ़ बनी है, जो जमीन जिसको बंटवारे में आयी है वह उसी पर काबिज है, तब वादी ने अपने वादपत्र में तीनों बहनों की बंटवारा की जमीन की चतुर्सीमा की विशिष्टियों के बारे में उल्लेख क्यों नहीं किया, ऐसे में यह उपधारणा करने के पर्याप्त आधार प्रतीत होते हैं कि विवादित भूमि में मनी का नाम दर्ज होने से उसका लाभ लेना चाहती है किंतु साक्ष्य से वादग्रस्त भूमि पर उसका स्वामित्व एवं आधिपत्य होना भी साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है, तब वादीगण के द्वारा वादपत्र में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बंटवारे की विशिष्टियों का उल्लेख क्यों नहीं किया है और यह भी स्वीकार किया है कि खसरा नंबर 28 में से मेरी मां मनी को सवा एकड़ भूमि बंटवारे में प्राप्त हुयी थी, उक्त भूमि मेरी मां ने संपत पिता शिववा को विक्रय कर दी है और आगे भी बताया है कि खसरा नंबर 7 की भूमि में भी मेरी मां को लगभग एक एकड़ भूमि बंटवारे में प्राप्त हुयी थी। ऐसे में वादी एवं वादी साक्षी साहेबराव की परिसाक्ष्य से उनके परीक्षण के कथन उक्त विचारणीय बिंदु के संबंध

11.8.26

(लक्ष्मण डोडवे)

व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड,

मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)

में विश्वास योग्य नहीं रहे जाते हैं कि मौजा बिरूल बाजार खसरा नंबर 202/1 रकवा 0.191 में से रकवा 0.62 एकड़ भूमि पर वादीगण का आधिपत्य है।

13. वादीगण की ओर से वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र प्र0पी0 10 प्रस्तुत किया है। उक्त नक्शा किस व्यक्ति के द्वारा या राजस्व अ धिकारी के तैयार किया गया है, तैयार करने वाले व्यक्ति से भी उक्त नक्शानुसार दर्शायी गयी चतुर्सीमा को प्रमाणित नहीं कराया गया है और साथ ही वादपत्र की कंडिका 1 में वर्णित भूमियों के संबंध में भी बाह्‌या की तीनों पुत्रियों में बराबर–बराबर हिस्सा होना बताया गया है किंतु किस पुत्री को कितना हिस्सा किस खसरे नंबर की भूमि में प्राप्त हुआ, इस संबंध में भी अभिवचन एवं कथनों का अभाव होने से वादी एवं उसके साक्षी की साक्ष्य विश्वास योग्य नहीं रह जाती है।

14. प्रतिवादी सुखदेव ने बताया है कि जनी मेरी मौसी है, उसके पुत्र फाग्या, दुर्गा, द्वारका हैं। मेरी माता एवं पिता घर जमाई लाये थे। साक्षी ने यह भी बताया है कि खसरा नंबर 7, 28, 24 और 202 में तीनों बहनों मनी, जनी और सोनी तीस वर्ष पूर्व आपसी बंटवारे अनुसार अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हैं। प्रतिवादी ने उक्त तथ्य अपने लिखित कथन में भी अभिवचित किये थे, उसके बावजूद भी वादी के द्वारा अपने कथन के दौरान यह स्पष्ट नहीं किया है कि मूल पुरूष बाहया की जमीन में तीनों पुत्रियों को आपसी विभाजन अनुसार किस खसरे की भूमि किस–किस पुत्री को प्राप्त हुयी। प्रतिवादी के लिखित कथन का कोई खंडन नहीं किया गया। इसलिए भी वादी की साक्ष्य वादग्रस्त भूमि पर अपना आधिपत्य होने के संबंध में विश्वास योग्य नहीं है।

15. प्रतिवादी सुखदेव ने अपने परीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि खसरा नंबर 7 की भूमि पर आधी जमीन जनी बाई को और आधी जमीन मनी बाई को प्राप्त हुयी थी तथा खसरा नंबर 28 में भी मनी बाई को 0.486 आरे भूमि प्राप्त हुयी थी। उक्त भूमि मनी बाई ने संपत वल्द शिववा को विकय कर दी है और

(लक्ष्मण ...)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड,
मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)

प्रतिपरीक्षण के दौरान भी वादी की ओर से प्रतिवादी को उसके परीक्षण की कंडिका 3,4 में खसरा नंबर 7 एवं 28 में मनी बाई का 1/2 भाग हिस्सा नहीं होने के संबंध में कोई चुनौती भी नहीं दी गयी है। ऐसे में प्रतिवादी की साक्ष्य से वादग्रस्त भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमियों में मनी का हिस्सा होना प्रकट होता है और मनी बाई मात्र खसरा नंबर 202/1 में अपना नाम होने का लाभ लेने के आशय से सहायता चाही है, जो उन्हें प्राप्त नहीं होती है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत नूर मोहम्मद बनाम देव बक्श 2006 आर.एन. 287 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत जाकूराम विरूद्ध हुकुमसिंह ए.आई.आर. 1994 एस.सी. 1653 अवलोकनीय है तथा मूल पुरूष के नाम से कोई राजस्व दस्तावेज भी पेश नही किये हैं तथा प्र0पी0 2 वर्ष 2011–2012 जो खसरा नंर 24, 28/1 के हैं, इसके पूर्व के कोई राजस्व दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। अतः की गई साक्ष्य विवेचना के आधार पर वादीगण वादप्रश्न कं. 1 को अपने पक्ष में प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। अतः वादप्रश्न क. 1 का उत्तर नकारात्मक रूप से **"ना"** में दिया जाता है।

–:: <u>वादप्रश्न क. 2 एवं 3 पर निष्कर्ष</u> ::–

16. उपरोक्त वादप्रश्न परस्पर संबद्ध होने तथा एक ही संव्यवहार के अनुकम में होने के कारण तथ्यों की पुनरावृत्ति एवं साक्ष्य विश्लेषण की पुनरावृत्ति को अपवर्जित करने के उद्देश्य से उक्त वादप्रश्नों के संबंध में साक्ष्य का विश्लेषण एक–साथ किया जा रहा है।

17. उपरोक्त वादप्रश्नों को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने अपने वादपत्र के अभिवचनों का कमोवेश रूप से समर्थन करते हुए कथन किया है कि विवादित भूमि पर वादिनी मनी तथा मृत जनी के वारसान एवं मृत सोनी के पुत्र प्रतिवादी कमांक 1 सुखदेव काबिज हैं और विवादित भूमियां वादीगण को बंटवारे में प्राप्त होकर स्वत्व एवं आधिपत्य में है। आगे यह भी बताया है कि न्यायालय नायब तहसीलदार वृत मासोद द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक

11.8.25
(लक्ष्मण झोडवे)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड,
मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)

77अ/27 वर्ष 2021–2022 में पारित आदेश दिनांक 29.09.2021 एवं आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा राजस्व अपील क्रमांक 139/2021–2022 में पारित आदेश दिनांक 29.03.2023 वादीगण पर बंधनकारी नहीं है क्यों नहीं है, इस संबंध में स्पष्ट अभिवचन नहीं है और वादी फाग्या उर्फ फागेराव एवं साहेबराव ने न्यायालयीन कथन में अभिवचन किये हैं कि विवादित भूमि के संबंध में सुखदेव ने बही बनाने के लिए हमारे अंगूठे लिये और फर्द बटांक गलत बनाया है और विवादित जमीन पर हमारा नाम नहीं था। हमने अनुविभागीय अधिकारी मुलताई के समक्ष अपील की थी, जिसमें हम जीत गये थे तथा सुखदेव ने हमारी अपील के विरूद्ध होशंगाबाद नर्मदापुरम कमिश्नर के यहां अपील की थी जहां पर सुखदेव जीत गया था। यहां पर वादीगण ने स्पष्ट नहीं किया है कि किस आधार पर फर्द बटांक तहसीलदार वृत्त मासोद के द्वारा फर्द बटांक का आदेश किस प्रकार से विधि विपरीत है, इसके संबंध में तथ्यों का अभाव है तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुलताई की अपील किस आधार पर एवं किन तथ्यों पर स्वीकार किया है, इस संबंध में भी तथ्य स्पष्ट नहीं किये है तथा प्रस्तुत दस्तावेज प्र0पी03 लगायत प्र0पी07 को साक्षी से प्रमाणित नहीं कराया गया है, मात्र दस्तावेज प्रस्तुत करना एवं प्रदर्श करा लेना पर्याप्त नहीं है, उनके संबंध में युक्तियुक्त रूप से स्पष्ट तथ्य प्रकट कर दस्तावेज प्रमाणित कराना चाहिए कि किन आधार पर तहसीलदार, एस0डी0एम0 का आदेश विधि विपरीत है। वादी की साक्ष्य उक्त बिंदु पर विश्वास योग्य प्रतीत नहीं होती है।

18. प्रतिवादी सुखदेव ने अपने न्यायालयीन कथन में लिखित कथनों का कमोवेश रूप से समर्थन करते हुए बताया है कि सभी की अलग–अलग ऋणपुस्तिकाएं बनाने के लिए तहसीलदार को आवेदन दिया था और पूर्व बंटवारे और मौके के आधार पर पटवारी के द्वारा सहमति, बटांकन तहसीलदार के यहां पेश किया था, उसी आधार पर तहसीलदार के द्वारा बटांकन आदेश विवादित भूमि

11.8.25

(लक्ष्मण डोंगरे)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड,
मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)

खसरा नंबर 202/1 के संबंध में किया गया था, जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी मुलताई के द्वारा उक्त खसरा नंबर का 1/3–1/3 होने के संबंध में आदेश दिया गया था बाकी जमीनों के संबंध में आदेश को यथावत रखा गया था, जिसकी अपील मेरे द्वारा आयुक्त होशंगाबाद के समक्ष की गयी थी, जिसमें तहसीलदार के आदेश को यथावत रखा गया था।

19. वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्र0पी05, प्र0पी06 पर दृष्टिपात करने पर वादी मनी की अंगूठा निशानी होना भी दर्शित हो रही ळै और तहसीलदार वृत मासौद द्वारा पारित आदेश प्र0पी07 को न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम के प्रकरण कमांक 139/अपील 2021–2022 सुखदेव विरूद्ध मनीबाई व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.03.2023 प्र0पी03 विधिक रूप से पारित करते हुए नायब तहसीलदार वृत्त मासौद तहसील प्रभातपटटन जिला बैतूल के आदेश की पुष्टि की गयी है एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा उक्त आदेश विधिक रूप से निरस्त किया गया। इस प्रकार उक्त दस्तावेज किस प्रकार से विधि रूप से विधि विरूद्ध है। वादीगण अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर उक्त वादप्रश्न अपने पक्ष में प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। अतः उपरोक्त की गयी साक्ष्य विवेचना के आधार पर वादप्रश्न कमांक 2, 3 का उत्तर सकारात्मक रूप से **"हॉं"** में किया जाता है।

–:: <u>वादप्रश्न क. 4 पर निष्कर्ष</u> ::–

20. इस वादप्रश्न को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादीगण पर है और प्रतिवादी सुखदेव ने अपने लिखित कथन का समर्थन करते हुए न्यायालयीन परीक्षण में बताया है कि मेरे नाना बाहया की ग्राम बिरूल बाजार में स्थित भूमि खसरा नंबर 7, 28, 24, 202 है। आगे यह भी बताया है कि खसरा नंबर 7 वाली भूमि का रकवा दो एकड़ जिसे झिरी वाली भूमि के नाम से जानते हैं, खसरा नंबर 28 की भूमि का रकवा लगभग ढाई एकड है, जिसे तिकोना के नाम से जाना

(लक्ष्मण डोइट)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड,
मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)

जाता है, खसरा नंबर 28 की भूमि जो पौने दो एकड़ के आसपास है जिसे वरड के नाम से जाना जाता है, खसरा नंबर 202 की भूमि लगभग एक एकड़ के आसपास है, जिसे गोडान के नाम से जाना जाता है। प्रतिवादी ने लिखित कथन में मूल पुरूष की वादपत्र की कंडिका 1 में दर्शायी भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि खसरा नंबर 28 रकवा 1.060 एवं खसरा नंबर 202 रकवा 0.381 की होना दर्शायी गयी है और वादी ने भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि मेरी मौसी मनी को खसरा नंबर 28 में से लगभग सवा एकड़ भूमि प्राप्त हुयी थी और खसरा नंबर 202 गोडान वाली आधी भूमि बाल दावे में शकर चरपे को दी थी, जो उसके नाम से दर्ज है। ऐसे में वादपत्र की कंडिका 1 में दर्शित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि खसरा नंबर 28, 202 के संबंध में वादपत्र एवं वादी के कथनों में स्पष्ट नहीं किये जाने से वादी का वाद आदेश 2 नियम 2 सीपीसी के तहत अप्रचलन योग्य होना पाया जाता है। अतः की गयी साक्ष्य विवेचना के आधार पर वादप्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर सकारात्मक रूप से **"हॉं"** में दिया जाता है।

—:: <u>वादप्रश्न क. 5 पर निष्कर्ष</u> ::—

21. इस वादप्रश्न को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादी ने अपने लिखित कथन में बताया है कि वादीगण के द्वारा विवादित जमीन विक्रय की गयी होने से उन क्रेताओं को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। प्रतिवादी सुखदेव ने भी न्यायालयीन कथन में बताया है कि विवादित भूमि के खसरा नंबर 28 रकवा 0.486 आरे मनी बाई को प्राप्त हुयी थी, उक्त भूमि मनी बाई ने संपत पिता शिववा को विक्रय कर दिया है तथा खसरा नंबर 202 की आधी भूमि मेरी मां को विभाजन में प्राप्त हुयी थी और आधी जमीन शंकर पिता लाहन्या चरपे को बालदावे में सभी बहनों की सहमति से दी गयी थी। वादीगण के द्वारा प्रतिवादी के उक्त तथ्यों के संबंध में कोई चुनौती नहीं दी गयी है बल्कि वादी फाग्या उर्फ फागेराव एवं साहेबराव ने भी प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि

11.8.26
(लक्ष्मण डोहरे)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड,
मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)

खसरा नंबर 28 में से सवा एकड़ जमीन वादी मनीबाई के द्वारा संपत पिता शिववा को विक्रय की गयी है, ऐसे में वादी के द्वारा शंकर पिता लाहन्या एवं संपत पिता शिववा को प्रकरण में पक्षकार क्यों नही बनाया गया औरवादी मनी के द्वारा विक्रय की गयी भूमि के संबंध में वादपत्र एवं कथन में स्पष्ट रूप से अभिवचन नही किये होने से भी प्रकरण में उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर पक्षकारों के असंयोजन का दोष होना प्रथदृष्टया प्रकट होता है। अतः की गयी उपरोक्त की साक्ष्य विवेचना के आधार पर वादप्रश्न कमांक 5 का उत्तर सकारात्मक रूप से ''हॉं'' में दिया जाता है।

—:: वादप्रश्न क. 6 पर निष्कर्ष ::—

22. इस वादप्रश्न के संबंध में वादी ने अपने वादपत्र की कंडिका कमांक 9 में वादग्रस्त भूमि के संबंध में उदघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बावत् सहायता चाही गयी, जिसके अनुकम में वाद का उचित एवं र्प्याप्त रूप से मूल्यांकन किया जाना प्रथमदृष्टया प्रकट होता है, जिसका कोई खंडन प्रतिवादीगण की ओर से अपने कथनों के दौरान नहीं किया गया है। अतः वादी के द्वारा किया गया मूल्यांकन उचित एवं र्प्याप्त होना प्रतीत होता है। अतः की गयी साक्ष्य विवेचना उपरांत वादप्रश्न कमांक 6 का उत्तर सकारात्मक रूप से **''हॉं''** में दिया जाता है।

—:: वादप्रश्न क. 7 पर निष्कर्ष ::—

23. अतः उपरोक्त की गयी साक्ष्य विवेचना के आधार पर वादीगण अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। अतः वादीगण का दावा खारिज किया जाकर निम्नानुसार आज्ञप्ति तैयार की जावे किः—

1. वादीगण का दावा खारिज किया जाता है।
2. वादीगण अपना एवं प्रतिवादीगण का वाद व्यय वहन करेंगे।

11.8.26

(लक्ष्मण डोंडवे)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड,
मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)

3. अधिवक्ता शुल्क म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम 1961, के नियम 523 के अनुसार अथवा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर जो भी कम हो वह वाद व्यय में जोड़ा जाये।

24. उपरोक्तानुसार आज्ञप्ति की विरचना सिविल नियम 523 के तहत की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया।

11.8.26

(लक्ष्मण डोडवे)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड
मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

11.8.26

(लक्ष्मण डोडवे)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड
मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)